राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 02.04.2019 **परिवाद संख्या 2019/17/1328**
2019/17/783

समक्ष : एकलपीठ
माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

परिवादी श्री कृष्ण स्वरूप सैनी द्वारा राज्य आयोग को एक परिवाद प्रेषित किया गया था जो आयोग को दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुआ। चूंकि परिवादी की शिकायत THE MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZEN ACT 2007 के अन्तर्गत स्थापित न्यायालय व अपील अधिकारी के विरूद्ध थी। अतः राज्य आयोग द्वारा परिवादी के उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर दर्ज प्रकरण संख्या 2019/17/783 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 के नियम 9 (ज) के तहत समाप्त कर दिया गया था। परिवादी द्वारा पुनः एक पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2019 को राज्य आयोग को प्रेषित किया गया। परिवादी के इन पत्रों में आये तमाम तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में आयोग द्वारा लाये जाने आवश्यक हैं, ताकि राज्य सरकार उन पर विचार कर सकेगी। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 से वृद्ध माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण के वास्तविक मकसद की पूर्ति हो रही है अथवा नहीं, विचारणीय विषय है।

तथ्यों के अनुसार परिवादी द्वारा अधिनियम, 2007 के तहत प्रार्थना–पत्र न्यायालय भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जयपुर शहर, जयपुर में पेश किया। परिवादी के उक्त प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 21 मार्च, 2017 को, अर्थात 10 माह पश्चात निर्णय किया जा चुका है। इस निर्णय दिनांक 21 मार्च, 2017 के विरूद्ध अपील अधिकारी, जिलाधीश, जयपुर के पास दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को अपील पेश की गई, परन्तु लगभग 02 वर्ष में भी त्वरित न्याय के लिए बनाये गये विशेष न्यायालयों द्वारा निर्णय नहीं दिया जा सकता है, जबकि परिवादी के अनुसार इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु 06 माह की समय सीमा निर्धारित है।

आयोग वर्तमान में अन्य कोई कार्यवाही किसी प्रकरण में करने से पूर्व राज्य सरकार का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट करना चाहेगा कि क्या अधिनियम, 2007 का लाभ वृद्ध माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त हो रहा है? राज्य सरकार के पास में किस तन्त्र द्वारा अधिनियम, 2007 के तहत विचाराधीन प्रकरणों की समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु निगरानी की जाती है व वर्तमान में सबसे पुराने प्रकरण राज्य में कब से व अपील न्यायालय में सबसे पुराने प्रकरण किस वर्ष के विचाराधीन हैं, इन तथ्यों से आयोग को अवगत कराया जावे।

इस आदेश की प्रतिलिपि व प्रकरण संख्या 2019/17/738 में संलग्न निर्णय दिनांक 21 मार्च, 2017 की प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य

सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 26 जून, 2019 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष